

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी- पीयूष समारिया
आई0ए0एस0



राजस्व अपील सं0 207/2019

1. हरफूल पुत्र जयराम जाति मीना निवासी ग्राम बडोली तहसील दौसा जिला दौसा।

...अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैथल तहसील दौसा जिला दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार सैथला दिनांक 23.10.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम हरफूल मु0नं0 231/2019 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भानू प्रताप सिंह, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 16.03.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, सैथल ने दिनांक 23.10.2019 को ग्राम बडोली तहसील दौसा के आ0ख0नं0 1250 के रकबा 0.70 है0 किस्म चरागाह पर संवत 2076 में बाजरा व ग्वार की काश्त कर अतिचार करने पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पैनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमां में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया है। अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का भी प्रमाण व सबूत पत्रावली में नहीं है। अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई है। पटवारी हल्का के बयान भी अपीलांट के सामने नहीं हुए है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि अतिक्रमी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर बाजरा व ग्वार की काश्त करने पर अतिक्रमित भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत संलग्न रिपोर्ट धारा 91 पर बाजरा व ग्वार की काश्त कर अतिक्रमण करना अंकित किया है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील पर स्वयं अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित है जो पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई व सबूत एवं जिरह का अवसर नहीं दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जाँच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जाँच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांत को पटवारी हल्का की रिपोर्ट में राजकीय चरागाह भूमि पर बाजरा व ग्वार की काश्तकर अतिक्रमण करना अंकित किया है। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक की जांच अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए निर्णय दिनांक 23.10.2019 द्वारा बेदखली, पैनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास से दंडित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलांत के द्वारा चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना, वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं होने एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है, जो पत्रावली में संलग्न है। हम अपीलांत के प्रस्तुत शपथ-पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2019 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त कर शेष आदेश यथावत रखा जाता है अन्यथा सिविल कारावास की सजा सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत रहेगा। अपीलांत द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय अपीलांत द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की छाया प्रति व निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(पीयूष समारिया)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)

जिला कलेक्टर, दौसा

